

छत्रपति शाहजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांक: 22.05.2013 को अपराह्न 01:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेंटर फॉर एकेडमिक्स भवन में हुई कार्यपरिषद की आपात बैठक की कार्यवाही:-

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

| | | |
|-----|--|---------|
| 1. | प्रो० अशोक कुमार, कुलपति, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर | अध्यक्ष |
| 2. | श्री आई०सी० द्विवेदी, (से०नि०) आई.पी.एस., 4/26, विशाल-खण्ड, विजया बैंक के पास, सदस्य गोमती नगर, लखनऊ | सदस्य |
| 3. | डॉ० श्याम बाबू गुप्ता, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय, वी०एस०एस०डी० कालेज, कानपुर | सदस्य |
| 4. | डॉ० वेद प्रकाश अग्रवाल, अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, ए.एन.डी.टी.टी. कालेज, सीतापुर | सदस्य |
| 5. | प्रो० मुकेश रंगा, आचार्य, आई०बी०एम० | सदस्य |
| 6. | डॉ० संजय स्वर्णकार, उपाचार्य, अंग्रेजी विभाग | सदस्य |
| 7. | प्रो० सुभाष चन्द्र अग्रवाल, आचार्य, शिक्षा विभाग | सदस्य |
| 8. | डॉ० अंशु यादव, उपाचार्या, आई०बी०एम० | सदस्य |
| 9. | डा० नीरज कुमार सिंह, उपाचार्य, आई०बी०एम० | सदस्य |
| 10. | डॉ० मुनेश कुमार, उपाचार्य, शिक्षा विभाग | सदस्य |
| 11. | डा० एस.पी. शाक्य, प्राचार्य, आर.एम.पी. डिग्री कालेज, सीतापुर | सदस्य |
| 12. | डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव, प्राचार्य, डी०बी०एस० पी०जी० कॉलेज, कानपुर | सदस्य |
| 13. | डा० एस०एस० शाक्य, प्राचार्य, नेहरू कॉलेज, छिबरामऊ, कन्नौज | सदस्य |
| 14. | डा० एन.एन.सी. अवस्थी, वनस्पति विज्ञान विभाग, ब्रह्मानन्द पी०जी० कॉलेज, कानपुर | सदस्य |
| 15. | श्री धर्मेन्द्र वर्मा, वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर | सदस्य |
| 16. | श्री सच्यद वकार हुसैन, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर | सचिव |

सर्वप्रथम कार्यपरिषद के सदस्यों का अध्यक्ष प्रो० अशोक कुमार, कुलपति ने स्वागत किया। परिषद ने कार्यकाल पूर्ण कर चुके पूर्व सदस्य प्रो० नन्द लाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग के बहुमूल्य सुझावों एवं विश्वविद्यालय के प्रति उनके अमूल्य योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया तथा नवनियुक्त सदस्य डॉ० संजय स्वर्णकार, उपाचार्य, अंग्रेजी विभाग का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।

मद सं०-१: वित्त समिति की बैठक दिनांक: 20.05.2013 की कार्यवाही की सम्पुष्टिकरण पर विचार।

वित्त समिति की बैठक दिनांक: 20.05.2013 की कार्यवाही पर परिषद द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सम्पुष्टि प्रदान की गयी।

(2)

(अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)

- (क) प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक: 08.07.2012 की अनुशंसा पर चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में क्रमशः 16 नैतिक लिपिक पद पर तथा 17 तदर्थ नैतिक लिपिक पद पर की गयी प्रोन्नति के अनुमोदन पर विचार।

प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक: 08.07.2012 की अनुशंसा पर चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में क्रमशः 16 नैतिक लिपिक पद पर तथा 17 तदर्थ नैतिक लिपिक पद पर की गयी प्रोन्नति पर परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

- (ख) अनानुमोदित जेनिटर के चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत श्रीमती रंजना पाण्डेय का रिक्त चतुर्थ श्रेणी के बुक अटेंडेंट पद पर किये गये समायोजन के अनुमोदन पर विचार।

अनानुमोदित जेनिटर के चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत श्रीमती रंजना पाण्डेय का रिक्त चतुर्थ श्रेणी के बुक अटेंडेंट के पद पर किये गये समायोजन पर परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

- (ग) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2012–13 में स्वीकृत सीट्स से अधिक प्रवेश की प्रवेश समिति द्वारा अर्थदण्ड के साथ दी गयी सशर्त अनुमति पर विचार।

प्रवेश समिति द्वारा उपरोक्त विषयक अतिरिक्त प्रवेश के सम्बन्ध में अर्थदण्ड के साथ दी गई सशर्त अनुमति का परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

- (घ) शासन के पत्र संख्या-2175/सत्तर-1-2011 दिनांक: 16.12.2011 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माझस० क्रिमिनल/14839/2011 दिनांक: 15.11.2011 को पारित आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से वांछित अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का विवरण प्रेषित न करने वाले राजकीय/अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रकरण पर विचार।


शासनादेश दिनांक: 16.12.2011 एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में कार्यरत शिक्षकों का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हुए विश्वविद्यालय को सूचना न उपलब्ध कराने वाले राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के सम्बन्ध में परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त की सूचना शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

परिषद ने वांछित विवरण उपलब्ध न कराने वाले स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के सम्बन्ध में निर्णय लिया कि ऐसे महाविद्यालयों के सम्बन्ध में शासन को सूचित करते हुए शासनादेश दिनांक: 16.12.2011 एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश हेतु पत्र प्रेषित किया जाय।

(3)


(ङ) महाविद्यालयों द्वारा छात्रों से प्रवेश के समय ही परीक्षा शुल्क भी लिये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश के समय ही छात्रों से प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही परीक्षा शुल्क लिये जाने पर सम्यक् विचारोपरान्त परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।



अन्त में माननीय कुलपति जी को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रो० अशोक कुमार)
कुलपति


(सम्यद-वकार हुसैन)
कुलसचिव